26/10/17
वकील उभयपक्ष हाजिर / एस. डी. ओ. साहब
दौरे पर / दीगर कार्य /अवकाश पर है। पत्रावली
बास्ते जवाब दिनांक 28/11/20 को पेश हो।

28/11/2017
वकील उभयपक्ष हाजिर / एस. डी. ओ. साहब
दौरे पर / दीगर कार्य /अवकाश पर है। पत्रावली
बास्ते जवाब दिनांक 22/02/2018 को पेश हो।

22.2.18
वकील उभयपक्ष हाजिर / एस. डी. ओ. साहब
दौरे पर/दीगर कार्य /अवकाश पर है। पत्रावली
बास्ते जवाब दि. 7-6-18 को पेश हो।

SDO सा. की आज्ञा से

21.5.18 पत्रावली समक्ष लोक अदालत न्याय आपके ऊपर 2018 केम्प पाली में प्रस्तुत हुई। उभयपक्ष हाजिर। लोक अदालत जुनी गई। पत्रावली व समझौते स्वरूप का अवलोकन किया। बाबजूद संयुक्त खातेदारी आराजियात में बटवारा होने तक अतवारीगण के विपक्ष अन्तर्वर्ती निषेधाज्ञा चाहता है। किसी खातेदार को उसकी खातेदारी आराजियात पर अन्तर्वर्ती निषेधाज्ञा जारी कर उपयोग के वंचित किया जाना उचित प्रतित नहीं होता है। प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में नहीं बनता है। अतः वाद 10 की स्तर पर खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर रजिस्टर से खत्म हो। आदेश सुनाया गया।

Scanned by CamScanner